केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा—निर्देश

Guidelines for Admission in Kendriya Vidyalayas



तत् त्वं पूर्षेन् अपावृणु केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग नई दिल्ली--110016

Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg New Delhi -110016 Website : www.kvsangathan.nic.in © Kendriya Vidyalaya Sangathan, 2014

Copies: 2500

हिन्दी अनुवाद : हिन्दी अनुमाग, केविसं (मु.)

आवरण : श्री ए.के. रावत, कला शिक्षक, केन्द्रीय विद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली -

Published by Addl. Commissioner (Academics) KVS (Hq.), New Delhi and

Printed at : Dolphin Printo-Graphics 4E/7, Jhandewalan Extn., Delhi-110055 Phone : 23593541/42, 9810130832

विषय सूची / CONTENTS

भाग–क	सामान्य दिशा–निर्देश	05
भाग–ख	विशेष प्रावधान	10
भाग-ग	प्रवेश प्रक्रिया	. 14
PART-A	GENERAL GUIDELINES	23
PART-B	SPECIAL PROVISIONS	28
PART-C	ADMISSION PROCEDURE	32

केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए दिशा-निर्देश

भाग–क

सामान्य दिशा-निर्देश

 केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पूर्व में जो भी दिशा—निर्देश जारी किए गए हैं उनको निरस्त करते हुए शिक्षा सत्र 2014–15 से प्रभावी निम्नलिखित दिशा—निर्देश विद्यालयों में प्रवेश नियमितीकरण हेतु जारी किए जाते हैं। ये दिशा—निर्देश विदेश स्थित केंद्रीय विद्यालयों पर लागू नहीं हैं।

2. परिमाषाएं —

जब तक संदर्भ से दूसरी बात अपेक्षित न हो, इन दिशा—निर्देशों में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावलियों की परिभाषा इस प्रकार से होगी:--

- (i) केंद्रीय सरकार कर्मचारी : कर्मचारी, जो भारत की समेकित निधि से अपनी परिलब्धियाँ प्राप्त करता है।
- (ii) स्थानांतरणीय : कर्मचारी, जो पूर्वगामी 7 वर्षों में कम से कम एक बार स्थानांतरित हो चुका है, उसे स्थानांतरणीय माना जाएगा।
- (iii) स्थानांतरण : कर्मचारी को स्थानांतरित तब माना जाएगा यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उसे एक स्थान / शहरी संकुल से दूसरे स्थान / शहरी संकुल में स्थानांतरित कर दिया गया है और जो स्थान कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा एक स्थान पर ठहराव की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए।
- (iv) स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमः भारत सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वित्तपोषित अथवा सरकार के 51 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी वाले स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ही इस वर्ग में माना जाएगा।

3. प्रवेश में प्राथमिकताएँ

प्रवेश प्रदान करते समय निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुपालन किया जाएगा :

- क. सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय :
- पूर्व--सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण पर आते हैं।

5 -

- भारत सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- 3. राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- 5. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चें भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं। विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतिक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।

टिप्पणी : बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

- ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय
- विद्यालय को प्रायोजित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उच्च शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र/पौत्रियां, प्रोजेक्ट कर्मचारियों और ऐसे स्नातकोत्तर विद्यार्थी जो अनुसंधान परियोजना के लिए दीर्घ अवधि तक कार्य करते हैं के बच्चे, वार्डन परिषद के नियमित कर्चचारियों (प्रीथपेनच्चा) के रच्चे प्रां येकरिवन कर्चचारियों के बच्चे, यार्डन परिषद के नियमित

कर्मचारियों (सीओडब्ल्यू) के बच्चे एवं सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चे एवं उनके पौत्र / पौत्रियां।

टिप्पणीः प्रवेश में सेवारत कर्मचारियों के बच्चों, सेवारत कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियां और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चे एवं पौत्र/पौत्रियां को उसी अनुक्रम में प्राथमिकता दी जाएगी।

- पूर्व-सैनिकों के बच्चों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। इसमें ऐसे विदेशी कर्मचारियों के बच्चें भी सम्मलित हैं जो भारत सरकार के आमंत्रण पर भारत में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर आते हैं।
- भारत सरकार के स्वायत निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- राज्य सरकार के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / उच्च शिक्षण संस्थानों के स्थानांतरणीय व अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।
- 6. किसी अन्य श्रेणी के बच्चे जिसमें विदेशियों के बच्चें भी सम्मिलित हैं जो अपने कार्य के कारण या किसी अन्य निजी कार्य से भारत में रहते हैं। विदेशियों के बच्चों पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रतिक्षारत सूची में कोई भी भारतीय शेष न हो।

टिप्पणीः बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता अभिभावकों के पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरणों की संख्या के आधार पर दी जाएगी।

6

4. प्रवेश के लिए पात्र आयु:--

जिस शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा—1 में प्रवेश मांगा जा रहा है उस वर्ष की 31 मार्च को बच्चे की आयु पांच वर्ष की होनी आवश्यक है (जिस बच्चे की जन्मतिथि 1 अप्रैल हो उस पर भी विद्वार किया जाएगा)।

कक्षा	जिस वर्ष में प्रवेश सांगा जा रहा है उसके 31 मार्च को बच्चे की न्यूनतम आयु	ो जिस वर्ष में प्रवेश भांगा जा रहा है उसकी 31 मार्च को बच्चे की अधिकतम आयु
I	5 वर्ष	7 वर्ष
п	6 वर्ष	8 वर्ष
III	7 वर्ष	9 वर्ष
IV	8 वर्ष	10 वर्ष
V	9 वर्ष	11 वर्ष
VI	10 at	<u></u>
VII	11 वर्ष	13 वर्ष
VIII	12 वर्ष	14 वर्ष
IX	13 वर्ष	15 वर्ष
X	14 বর্ষ	16 वर्ष

क. केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए न्यूनंतम और अधिकृतम आयु इस प्रकार होगी:

टिप्पणीः विकलांग बच्चों को अधिकतम आयु में प्राचार्य द्वारा दो वर्ष की छूट दी जा सकती है ।

- ख. कक्षा —11 में प्रवेश के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है बशर्ते कि संबंधित विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष में प्रवेश चाह रहा हो। इसी तरह कक्षा 12 में प्रवेश हेतु कोई अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, बशर्ते विद्यार्थी द्वारा कक्षा 11 उत्तीर्ण करने के बाद उसके निरन्तर अध्ययन में कोई अंतराल न हो।
- 5. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या और सक्षम प्राधिकारी

कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
40 तक	प्राचार्य	31 जुलाई तक	पंजीकृत और पात्र उम्मीदवार बशर्ते कि कक्षा में रिक्तियाँ हों।
45 तक	अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति	1 अगस्त से 30 सितम्बर तक	बशर्ते कि श्रेणी—1 का केंद्र सरकार का कर्मचारी पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करता है तो उनके बच्चों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पिछले शैक्षणिक सन्न में स्थानांतरित श्रेणी—1 के कर्मचारियों के बच्चों के प्रवेश के लिए भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि इस शैक्षणिक सन्न में स्थानांतरित श्रेणी—1 कर्मचारियों के सभी बच्चों को प्रवेश देने के उपरांत जगह खाली हो। प्रोजेक्ट/उच्च शिक्षण संस्थान में स्थापित केंद्रीय विद्यालयों पर भी यह प्रावधान लागू होगा।

कक्षा में	प्राधिकारी	दिनांक	टिप्पणी
विद्यार्थियों की संख्या			
45 तक	आयुक्त, के.वि.सं.	30 नवम्बर तक	श्रेणी-1 के कर्मचारियों के बच्चे जिन्होनें स्थानांतरण
	· · ·		पर 30 सितम्बर के बाद कार्यभार ग्रहण किया है
			बशर्ते कि कक्षा में रिक्तियाँ हों।

6. प्रवेश में आरक्षण

11

(क) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणीः

सभी केंद्रीय विद्यालयों में नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें आरक्षित होंगी।

(ख) शारीरिक विकलांग श्रेणी:

निःशक्तता अधिनियम 1995 (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा व पूर्ण प्रतिभागिता) के साथ पठित शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नए प्रवेश के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें शारीरिक विकलांग बच्चों के लिए संस्तर रूप में आरक्षित होगी।

7. के.वि. स्थानांतरणं प्रमाण-पत्र एवं स्थानीय स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश

- (i) यदि माता-पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर हो गया है तो के.वि. के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर स्वतः ही (कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर) बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक पहुंच जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं।
- (ii) रक्षा कार्मिकों और अर्धसैनिक बलों के कर्मचारी, जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहां परिवार नहीं रखा जा सकता या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो वे अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण---पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेगें जहां वे अपना परिवार रखते हैं।
- (iii) अन्य सभी मामलों में जहाँ माता-पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा।
- (iv) के.वि. स्थानांतरण प्रमाण–पत्र के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएंगे।
- (v) के.वि. स्थानांतरण प्रमाण—पत्र वाले छात्र को प्रोजेक्ट के.वि. में भी कक्षा में केवल 45 विद्यार्थीयों संख्या तक अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से प्रवेश प्रदान किया जा सकता है। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में के.वि. स्थानांतरण प्रमाण—पत्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा हालांकि, संभागीय उपायुक्त को अत्यंत वांछनीय मामलों में प्रोजेक्ट / निकटतम के.वि. में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में प्रवेश के लिए आईसीएसई/राज्य बोर्ड/राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान की समकक्षता

आईसीएसर्ट्स, / राज्य बोर्ड / राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान किया जाएगा। संबंधित संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में रिक्तियां रहने पर प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। संबंधित संस्थान द्वारा विभिन्न विषयों में दिए गए अंकों को सीबीएसई द्वारा निर्धारित ग्रेड में परिवर्तित किया जाएगा।

सीबीएसई मानदण्डों के अनुसार विभिन्न विषयों के अंकों को ग्रेड में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाएगाः अंको का ग्रेड में परिवर्तन

अंक	ग्रेड	अंक	ग्रे ड
91-100	ए1	51-60	सी।
81-90	<u><u></u><u>v</u>2</u>	41-50	सी2
71-80	ची1	· ··· ··· · · · · · · · · · · · · · ·	डी
61-70	बी2	21-32	ई1
		0-20	ई2

9. 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं में प्रवेशः

8

केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा कक्षा 10 एवं 12 में प्रवेश के मामलों पर रिक्त स्थान होने पर विचार किया जाएगा। कक्षा 10 एवं 12 में ऐसे प्रवेश के मामलों पर विचार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त द्वारा ही किए जाएंगे बशर्ते कि इन कक्षाओं में औसत संख्या 40 से कम हों। ऐसे मामलों में प्रवेश के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:

(i) बच्चे ने उसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, जो सीबीएसई से संबद्घ विद्यालय में किया हो

- (ii) कक्षा 10 में प्रवेश के लिए बच्चे ने कक्षा 9 में कम से कम 6.5 सीजीपीए प्राप्त किया हो (सीजीपीए की गणना सीबीएसई द्वारा कक्षा 10वीं के लिए सीजीपीए गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र के अनुसार की जाएगी) कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं की परीक्षा में कम से कम 55% होना आवश्यक है।
- (iii) केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी सभी प्रकार से पात्र होना चाहिए।
- (iv) केंद्रीय विद्यालयों में उन विषयों का संयोजन (Combination) उपलब्ध हो।

10. विदेश में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश

अभिभावकों की विदेश में प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा उनका बच्चा यदि उनके साथ विदेश चला जाता है, भारत में उनकी वापसी पर संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उसे अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

टिप्पणीः प्रवेश दिशा—निर्देशों की व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले में आयुक्त, के.वि.सं. का निर्णय अंतिम होगा।

9

विशेष प्रावधान

- इन प्रवेश दिशा—निर्देशों में दिए गए प्रावधानों में अन्यथा उल्लिखित प्रवेश व्यवस्था को छोड़कर (जैसे मद संख्या (xvi) निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को कक्षा की निर्धारित संख्या से अधिक / ऊपर प्रवेश दिया जाएगाः
 - (i) माननीय सांसदों के बच्चे और उनके आश्रित पौत्र / पौत्रियां।
 - (ii) केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चे और पौत्र / पौत्रियां (पुत्र अथवा / और पुत्री के बच्चे)।

के.वि.सं.(केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जेडआईईटी और के.वि.सं.(मुख्या)) में सेवारत और सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों और पौत्र / पौत्रियों को कक्षा की निर्धारित संख्या / स्थानांतरण /भर्ती पर ध्यान दिए बिना वर्ष में किसी भी समय प्रवेश हेतु विचार किया जाएगा। तथापि कक्षा 9 में प्रवेश हेतु बच्चे को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी (जो अधिकारी / कर्मचारी के.वि.सं. में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करते हैं उनके बच्चों को भी के.वि.सं. के नियमित कर्मचारी के बच्चों के समतुल्य माना जाएगा) ।

- (iii) कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चे |
- (iv) परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, सेना मेडल (आर्मी), नौसेना मेडल (नौसेना), वायु सेना मेडल (वायुसेना) प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- (v) शौर्य के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 'पुलिस पदक' प्राप्तकर्ताओं के बच्चे।
- (vi) सरकार द्वारा आयोजित एसजीएफआई / सीबीएसई / राष्ट्रीय / राज्य स्तर के खेलकूद में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले मेधावी बच्चे।
- (vii) स्काउट और गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
- (viii) इकलौती कन्या संतान का प्रवेश कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में अधिकतम दो तथा कक्षा 6 से आगे की कक्षाओं में प्रत्येक कक्षा में दो को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें माता—पिता की जुड़वा पुत्रियां व अधिक पुत्रियां भी सम्मिलित हैं।
- (ix) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार अथवा राष्ट्रीय बालभवन द्वारा प्रारंभ किए गए बालश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बच्चे।
- (x) शिक्षकों के लिए निर्धारित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता शिक्षकों के बच्चे ।
- (xi) ललित कलाओं में राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विशेष प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चे।

- (xii) केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के 100 बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा (31 जुलाई तक)।
- (xiii) के वि.सं.((मु.) द्वारा जारी आदेशों पर विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के 60 बच्चों को प्रतिवर्ष भारत में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा और 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय के छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा। ये प्रवेश निम्नलिखित शर्तों पर विनियमित होंगे:
- क) देशभर में कहीं भी स्थित केंद्रीय विद्यालय में 60 प्रवेश केवल उन बच्चों के लिए हैं जो अपने अभिभावकों की तैनाती के उपरांत विदेश से लौट रहे हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत आम प्रवेश के समय शेष सीटों को ऐसे ही रखा जाएगा और शिक्षा—सत्र के प्रारंभ से लेकर 30 सितंबर की अवधि तक भारत लौटने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए ये सीटें उपयोग में लाई जाएंगी। 30 सितंबर के पश्चात भारत लौटने वाले अभिभावकों के बच्चों के प्रवेश पर 30 नवम्बर तक विचार किया जाएगा। इस प्राथमिकता के अर्तगत विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों के बच्चों पर विशेष विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी प्रवेश इस शर्त पर होंगे कि एक विद्यालय में एक वर्ष में 5 बच्चों से अधिक का प्रवेश न हो और बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश से पहले विदेश में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे उस विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ख) केंद्रीय विद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश हेतु 15 सीटें केवल उन बच्चों के लिए होंगी जिनके अभिभावक विदेश में ऐसे स्टेशन पर तैनात किए गए हो, जहां शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। इस संबंध में अपेक्षित सूचना विदेश मंत्रालय द्वारा दी जानी आवश्यक है।
- (xiv) अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (रॉ) के कर्मचारियों के 15 बच्चों को केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप प्रवेश दिया जायेगा। इनमें से अधिकतम 5 सीटें दिल्ली में और शेष दिल्ली से बाहर दी जाएगी।
- (xv) यदि उपबंध (xii) (xiii) और (xiv) के अंतर्गत पात्र बच्चों के प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न हों तो इन प्रावधानों के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित सीमा तक अतिरिक्त नामों को मनोनित किया जा सकता है ।
- (xvi) सभी विद्यालयों में प्रायोजक अभिकरण के बच्चों के लिए, आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित विद्यालयों को छोड़कर, कक्षा एक के प्रत्येक सैक्शन में 5 सीटें और अन्य सभी कक्षाओं में कुल मिला कर 10 सीटें आरक्षित होंगी। इस कोटे के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सेवाकाल के दौरान निधन होने वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सिविल क्षेत्र के विद्यालयों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चे इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से रक्षा, परियोजना क्षेत्रों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के केन्द्रीय विद्यालयों में केवल इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे इस प्रावधान के अंतर्गत आएंगे। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या तक रहेंगे जबकि शेष कक्षाओं में निर्धारित छात्र संख्या के अतिरिक्त प्रवेश की अनुमति है।
- (xvii) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति, संबंधित विद्यालय/शिफ्ट में अपने विवेकाधिकार कोटे के अंतर्गत अधिकतम दो बच्चों के प्रवेश के लिए संस्तुति कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं को छोड़कर इन दो प्रवेशों की संस्तुति एक ही कक्षा में अथवा अन्य कक्षाओं में अलग—अलग कुल मिलाकर की जा सकती है।

(xviii) दिल्ली में जहां केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि डी.डी.ए. द्वारा प्रदान की गई है उन केंद्रीय विद्यालयों में डी.डी.ए. के नियमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन में 5 सीटें तथा अन्य कक्षाओं में कुल 5 सीटें सीमित होंगी। कक्षा 1 में प्रवेश सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या के अंदर होंगे जबकि अन्य कक्षाओं में यह सेक्शन की निर्धारित छात्र संख्या से ऊपर होंगे।

- (xix) प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा—सत्र में प्रवेश हेतु छः मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए सीमित है जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हों या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हों। यह संस्तुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी। यदि किसी माननीय सांसद (लोकसभा) के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्<u>िहित निर्वाचन क्षेत्र</u> में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी सन्<u>िहित निर्वाचन क्षेत्र</u> में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में भी कर सकते हैं। राज्य सभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं। राज्य सभा एवं लोक सभा के मनोनीत सांसद देश में स्थित किसी एक विद्यालय या अन्य विद्यालयों में छः मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं।
- क) यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे।

- ख) यह अनुशंसा पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए की जा सकती है।
- ग) ये प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे एवं वर्ष की निर्धारित अंतिम तारीख (अर्थात् 31 जुलाई) के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जाएगा।
- घ) यह अनुशंसा माननीय सांसदों को के वि.सं.(मुख्या) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी फॉर्म / प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- ड) माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की संस्तुति की गई है वह केवि.सं. प्रवेश दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए।
- च) सांसद कोटे की अप्रयुक्त सीटें केविस के अध्यक्ष की अनुमति से भरी जाएंगी। इस प्रावधान के अंतर्गत किए गए प्रवेशों को निम्न प्रकार से नियमित किया जाएगा :
 - i) ये प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या क्षमता से ऊपर होंगे।
 - ii) ये प्रवेश वर्ष के दौरान प्रत्येक विद्यालय में किए गए कुल नए प्रवेशों के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए।
 - iii) माननीय मा.सं.वि.मंत्री, अध्यक्ष केविसं के कार्यालय द्वारा विचाराधीन नामों की सूची उपलब्ध कारवाई जाएगी। उपलब्ध सीटो की अपेक्षा सूची में उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने पर लाटरी के द्वारा चयन किया जाए।
 - iv) इस योजना के अंतर्गत प्रवेश की अंतिम तिथि उस वर्ष की 31 अगस्त होगी।

- v) केविसं के वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देश के अनुसार संस्तुत किए बच्चों का प्रवेश हेतु पात्र होना अनिवार्य है।
- (xx) सशस्त्र बलों के प्रत्येक शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना और नौसेना एक शैक्षणिक वर्ष में पूर्व प्राथमिक कक्षा तथा कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाओं में प्रवेश हेतु 6 मामले मेज सकते हैं। सशस्त्र बलों के शिक्षा निदेशालय अर्थात सेना, वायुसेना और नौसेना, रक्षा कार्मिक के ऐसे 06 बच्चों के नामों की सिफारिश कर सकते हैं जो रक्षा क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं। ये प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर होंगे एवं 31 जुलाई तक पूरे किए जाएंगे। तथापि इन प्रावधानों के अंतर्गत कक्षा 10वीं व 12वीं में कोई प्रवेश नहीं दिए जाएंगे।

2. रक्षा बलों के बच्चों को प्रवेशः

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संबद्ध रक्षा बलों (थल सेना, वायु सेना, जल सेना एवं सीआरपीएफ) द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण—पत्र के आधार पर बच्चों को केन्द्रीय विद्यालय में स्वतः ही प्रवेश तभी किया जायेगा जब माता—पिता का स्थानांतरण उस स्थान पर हुआ हो या माता—पिता सेवा निवृत्ति के बाद वहीं बसने की इच्छा रखते हैं तथा तैनाती के स्थान से 10 कि.मी. की परिधि में सैन्य बलों द्वारा चलाया जा रहा कोई विद्यालय उपलब्ध न हो।

यह प्राक्धान भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा संचालित विद्यालयों के मामलों में भी लागू होंगे। ये प्राक्धान इसरो / एईईएस द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में पढ़ रहे सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी लागू होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधान केवल रक्षा कार्मिकों / सीआरपीएफ के कार्मिकों के बच्चों अर्थात पुत्र और पुत्रियों के लिए है। इसमें रक्षा कार्मिकों के पौत्र / पौत्रिया सम्मिलित नहीं होंगे। इसमें आयु और अंकों / ग्रेड के मापदण्डों की पात्रता सहित केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा—निर्देश के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जाएगा। बच्चे द्वारा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के माह से विद्यालय विकास निधि सहित सभी शुल्क का भुगतान किया जाएगा चाहे उसके द्वारा अपने पिछले विद्यालय में उत्तरवर्ती महीनों के शुल्क का भुगतान किया जा चुका हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रक्षा मंत्रालयों / विभागों / प्राधिकरणों द्वारा संचालित विद्यालय से जारी प्रमाण—पत्र को प्रवेश लेने वाले केंद्रीय विद्यालय के संभाग के उपायुक्त द्वारा पृष्ठांकित करवाया जाएगा।

पूर्व प्राथमिक छात्रों को कक्षा—1 में प्रवेश

पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से कक्षा 1 में स्वतः प्रवेश के नियम को सन्न 2008–09 से वापस ले लिया गया है। अब कक्षा 1 के सभी प्रवेश नए माने जाएंगे और इन पर प्रवेश दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्रवाई होगी।

4. ऐसे विद्यार्थी, जो पूर्व में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे किन्तु उन्हें (क) माता-पिता का स्थानांतरण होने के कारण या (ख) माता-पिता के फिल्ड एरिया में स्थानांतरण के कारण से होने वाले पुनः स्थापन के कारण से केन्द्रीय विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ने को बाध्य होना पड़ा क्योंकि उस स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, और यदि संबंधित अभिभावक का अगला स्थानांतरण ऐसे स्थान पर होता है जहाँ केंद्रीय विद्यालय है, ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा की निर्धारित संख्या से ऊपर प्रवेश दिया जाएगा। अभिभावक को इस आशय का प्रमाण उपलब्ध कराना होगा।

भाग–ग प्रवेश प्रक्रिया

1. प्रचार

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की समय—सारणी का उल्लेख करते हुए केंद्रीय विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए पंजीकृत करने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित करते हुए स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस विज्ञापन में यह भी विशेष रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही सीमित नहीं है अपितु सभी के लिए खुला है, केवल प्रवेश को नियमित करने के लिए कुछ प्राथमिकताए निर्धारित की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग बच्चों के लिए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत आरक्षण को भी दर्शाया जाए।

2. पंजीकरण

- (i) यदि किसी कक्षा में कोई रिक्त स्थान न हो या स्थान रिक्त होने की संभावना न हो तो उस कक्षा में प्रवेश के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा। यदि भविष्य में रिक्ति उपलब्ध हो जाती है तो स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार करके पंजीकरण किया जा सकता है तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रवेश दिशा—निर्देश के अनुसार प्रवेश किया जा सकता है।
- (ii) यदि पंजीकरण के लिए इच्छुक बच्चों की संख्या कम हो जिससे और सभी सीटें न भरी-जा सकी हों, तो प्राचार्य रिक्त सीटों की उपलब्धता को दर्शाते हुए दूसरा / तीसरा विज्ञापन मई और जून मास में जारी करेंगे।
- (iii) विद्यालयों में प्रवेश विद्यालय की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से किए जाने अपेक्षित हैं। यदि कार्यकारिणी समिति द्वारा कक्षा की पूर्ण संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश अनुमोदित नहीं किए जाते तो प्राचार्य उसकी जानकारी उपायुक्त को देंगे जो प्रवेश की अनुमति प्रदान करेंगे।
- (iv) कक्षा 11वीं के लिए पंजीकरण 10 वीं कक्षा के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद किए जाएं और सीबीएसई द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा होने के 30 दिनों के भीतर कक्षा की पूरी संख्या तक प्रवेश पूरे कर लिए जाने चाहिए। विद्यालय की कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदन न किए जाने के कारण यदि कक्षा क्षमता तक प्रवेश दिए जाने में कोई कठिनाई आती है तो ऐसी स्थिति में अन्य कक्षाओं के लिए निर्धारित ऊपर दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए उपायुक्त के अनुमोदन से कक्षा की संस्वीकृत संख्या तक प्रवेश 31 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएं।
- (v) प्राचार्य द्वारा पंजीकरण फार्म निःशुल्क में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- (vi) सभी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ पूरी तरह से भरा हुआ पंजीकरण फार्म निर्धारित तिथि के भीतर विद्यालय कार्यालय में अवश्य जमा किया जाएं।

(vii) पंजीकरण फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियां संलग्न करना आवश्यक है।

दस्तावेज 3.

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु के प्रमाण के लिए जन्म पंजीकरण के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र। इसमें अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद्/नगर पालिका/नगर निगम के प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत, सैनिक अस्पताल और रक्षा कर्मियों के सेवा अभिलेखों के जन्मतिथि संबंधी उदयरणों या शपथ पत्र को लिया जाएगा। अन्य कक्षाओं के लिए राज्य शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा निर्गत स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। जन्म तिथि के सत्यापन के पश्चात जन्मतिथि के मूल प्रमाण–पत्र को अभिभावकों को लौटा दिया जाना चाहिए। कक्षा 8 तक प्रवेश बिना किसी अन्य विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के भी दिए जा सकते हैं बशर्ते बच्चा प्रवेश पाने योग्य हो और

उसका जन्म प्रमाण-पत्र सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया हो या शपथ पत्र के रूप में हो।

- माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के पौत्र / पौत्रियों के माता अथवा पिता के माननीय सांसदों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी के साथ संबंध होने का प्रमाण होना आवश्यक है।
- केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के पौत्र/पौत्रियों के लिए कर्मचारियों से संबंध होने का प्रमाण होना आवश्यक है !
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी (नॉन क्रिमी! लेयर)/ बीपीएल / विकलांग इत्यादि के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र संबंधित राज्य सरकार / संघ सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। यदि बच्चे का यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध नही है तो ऐसी स्थिति में प्रवेश के प्रयोजन हेतु माता अथवा पिता के सम्बंध में प्रमाण पत्र को आरंभ में स्वीकार कर लिया जाए किन्तु बच्चे से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रवेश के 3 माह के अंदर जमा करना होगा।
- विकलांग बच्चे के संबंध में भारत सरकार के दिनांक 04.05.1999 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/5/88/स्था, (एससीटी) में परिभाषित सिविल सर्जन/पुनर्वास केंद्र अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें विकलांगता प्रमाणित की गई हो, उपलब्ध हो। उन मामलों में जहां बच्चे की विकलांगता प्राचार्य द्वारा स्वयं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उस स्थिति में बिना किसी प्रमाण-पत्र के विकलांगता को मान लिया जाएगा। तथापि अभिभावक को सलाह दी जाय कि सक्षम अधिकारी से प्रमाण–पत्र प्राप्त करें। उसे विद्यालय में जमा करें !
- पूर्वगामी 7 वर्षों के दौरान हुए स्थानांतरणों की संख्या को दर्शाने वाला एक सेवा प्रमाण-पत्र जो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मोहर सहित हो तथा उसमें कार्यालयाध्यक्ष का नाम, पदनाम और अन्य सुसंगत ब्यौरे स्पष्ट अक्षरों में लिखे गए हों ।
- वर्दीधारी रक्षा कार्मिकों के लिए सेनानिवृत्ति प्रमाण-पत्र ।
- निवास प्रमाण

टिप्पणी :--

- (i) पंजीकरण मात्र से ही प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) अपूर्ण रूप से भरे आवेदन फार्म सामान्यतः निरस्त कर दिए जाएंगे। रिक्तियों के शेष रहने के मामलों में, प्राचार्य अपने विवेक पर बाद में भी प्रपन्न को पूरा करने की अनुमति दे सकते हैं।
- (iii) गलत प्रमाण–पत्र के आधार पर प्राप्त प्रवेश को प्राचार्य द्वारा तुरंत रदद् कर दिया जाएगा और प्राचार्य द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई के विरूद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) जब किसी बच्चे को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए एक केंद्रीय विद्यालय में पंजीकृत किया जाता है लेकिन चयन सूची की घोषणा से पूर्व ही उसके माता—पिता किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं तो बच्चे को ऐसी स्थिति में अपने माता—पिता के तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकृत माना जाना चाहिए चाहे वहाँ प्रवेश की अंतिम तिथि समाप्त भी हो गई हो। पंजीकृत फार्म की मूल प्रति तैनाती के स्थान पर स्थित केंद्रीय विद्यालय को स्थानांतरित कर दी जाए एवं छायाप्रति उस विद्यालय द्वारा रखी जाए जहां बच्चा पहले पंजीकृत हुआ था।
- (v) श्रेणी i, ii, iii एवं iv में प्रवेश के संबंध में अभिवावक द्वारा उसकी सेवा के संबंध में प्रमाण के रूप में जमा किए गए प्रमाणपत्रों की सत्यता निरपवाद रूप से प्राचार्य द्वारा जांची जाए।

4. कक्षा—1 के लिए प्रवेश विधि

नए प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में से 15% सीटें अनुसूचित जाति एवं 7.5% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कमी की गणना आरटीई कोटे के तहत भर्ती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या को संज्ञान में लेने के बाद की जाएगी।

- (1) पहले चरण में कक्षा –1 के प्रत्येक सेक्शन के 10 सीटों (40 सीट में से) को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत (25% तक) भरा जाएगा और ये 10 सीटें एससी/एसटी/ ईडबल्यूएस/बीपीएल/ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर)/विकलांग श्रेणी के सभी आवेदनों को एक साथ इकटठा करके लॉटरी के माध्यम से भरी जायेगीं।
- (2) दूसरे चश्ण में शेष सीटों को मौजूदा प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली के आधार पर भरा जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कमी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को प्रवेश प्रदान कर पूरा किया जाएगा।

उदाहरण के लिए: एक सेक्शन स्कूल में 6 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%) आरक्षित हैं। मान लिया जाये कि, पहले चरण में आरटीई के तहत लॉटरी प्रणाली द्वारा 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों, 1 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार और 1 विकलांग उम्मीदवार को प्रवेश दिया गया है, तो उपलब्ध एससी सीटें 06–02=4 और एसटी सीटी 3–1=2 मानी जाएंगी। पंजीकृत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में शेष उम्मीदवारों को प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के क्रम में विचार किया जाएगा। इस प्रकार से शेष 24 सीटों पर प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी–1

- क) आरटीई के तहत आरक्षित 10 सीटों को किसी भी मामलें में अनारक्षित नहीं किया जाएगा।
- ख) 20 जुलाई के बाद अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को आदान-प्रदान अर्थात एससी को एसटी और एसटी को एससी में बदला जा सकता है।
- ग) अगर पंजीकरण के प्रथम चरण में आरटीई के तहत वाछित संख्या में उम्मीदवार पंजीकृत नहीं होते हैं तो अप्रैल माह में दूसरी अधिसूचना जारी की जाए।
- घ) सुविधा वंचित समूह / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / बीपीएल / ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) की परिभाषा / पात्रता संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तय की जाएगी।
- ड) कक्षा-1 के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

टिप्पणी–2

- (क) सुविधा वंचित समूह की परिभाषाः
- सुविधा वंचित समूह के बच्चे का तात्पर्य उन बच्चों से है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य समूह जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक, लैंगिंक या समुचित सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर निश्चित किये गये अन्य किसी कारण से सुविधा वंचित हों [आर टी ई एक्ट की सेक्शन 2 (घ)]
- 2 विशेष जरूरतों वाले और अशक्तता से पीडित बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार निश्चित किया जाएगा।
- (ख) कमजोर वर्ग की परिमाषा
 - कमजोर वर्ग से संबंध रखने वाले बच्चे का अभिप्राय ऐसे बच्चे से है जिसके माता—पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय वहां की समुचित सरकार की या न्यायालय द्वारा घोषित वैधानिक अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है।
 - आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की आय सीमा का निर्धारण सबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लागू होगा।

(ग) पड़ोस की परिभाषा और निवास का प्रमाण

चूंकि केंद्रीय विद्यालय विभिन्न जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों पर स्थित है, पड़ोस के क्षेत्र की सीमा के निर्धारण के लिए उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: –

- प्रमुख नगर और शहरी क्षेत्र (सभी जिला मुख्यालय एवं महानगर)
 5 कि.मी. की परिधि
- ऊपर 1 में सम्मिलित स्थान व क्षेत्र के अलावा
 8 कि.मी. की परिधि

टिप्पणीः

 सभी आवेदकों को अपने निवास का प्रमाण देना होगा। तथापि निवास प्रमाण न होने की परिस्थिति में प्रवेश से इंकार नहीं किया जा सकता है। अभिभावकों द्वारा दूरी संबंधी लिखित स्व:घोषणा को भी इस आशय के लिए स्वीकार कर लिया जाए।

5. ड्रॉ की पर्चियां निकालने के लिए समिति का गठन

प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 व अन्य कक्षाओं में जहां किसी वर्ग विशेष या स्थानांतरणों की समान संख्या वाले सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटों की संख्या में समायोजित न किया जा सके ऐसे मामलों को निपटाने के लिए ड्रॉ के पर्यवेक्षण के लिए एक समिति का गठन करेगा।

समिति में निम्न 05 सदस्य होंगे :

1	प्राचार्य	संयोजक
2	হিাম্নক	सदस्य (प्राचार्य) द्वारा मनोनित)
3 व 4	दो अभिभावक (एक महिला)	सदस्य, (एक ऐसा माता—पिताजिसके बच्चे का प्रवेश आरटीई अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 12(1) (ग) के अंतर्गत किया जाना विचारणीय है।
5	विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य	सदस्य (वि.प्र.स.के. अध्यक्ष द्वारा मनोनित)

- प्राचार्य द्वारा एक अतिरिक्त छठा सदस्य कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से नामांकित किया जा सकता है जहां ये कक्षाएं उपलब्ध है।
- अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति की सहमति से इस समिति के गठन की अधिसूचना ड्रॉ के कम से कम 5
 दिन पहले कर दी जाए और उसे विद्यालय के सूचना पटट पर प्रदर्शित किया जाए।

शुल्क एवं अन्य रियायतें

- आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत जिन 25% बच्चों को प्रवेश दिया गया है उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- इस अधिनियम के अंर्तगत प्रवेश दिये गये 25% बच्चों को उनकी कक्षा की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा और नोट—बुक, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और परिवहन से संबंधित अन्य खर्च की प्रतिपूर्ति निर्धारित खर्च की उच्चतम सीमा के अन्दर रहते हुए, उसके मूल बिल पेश करने पर की जाएगी।
- एक बार बच्चे को आरटीई अधिनियम के अंतर्गत कक्षा-1 में प्रवेश मिल जाता है तो उसे कक्षा-8 तक सभी रियायतें, उसी केंद्रीय विद्यालय अथवा दूसरे केंद्रीय विद्यालय में स्थानांतरण होने पर भी मिलती रहेगी।
- पंजीकरण के समय अभिभावक का निवास प्रमाण दिया जाना चाहिए।
- यदि किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा फीस के प्रतिपूर्ति की लाभ मिल रहा है तो वह आरटीई अधिनियम की रियायतों का दावा नहीं कर सकता है।

7. कक्षा II से VIII में प्रवेश की विधि

कक्षा II से VIII में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी तथा प्रवेश प्राथमिकता श्रेणी प्रणाली ^(1 से 5 या 6 जैसा भी मामला हो) के आधार पर दिए जाएं। यदि सीटों की संख्या से अधिक आवेदन हों तो माता पिता की इकलौती पुत्री संतान के कोटे प्रत्येक श्रेणी (सहित) कक्षा 6 और ऊपर की कक्षाओं को भी लॉटरी व्यवस्था से भरा जाए।

8. कक्षा IX में प्रवेश की विधि

कक्षा IX में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रत्येक प्राथमिकता श्रेणी के लिए योग्यताक्रम के अनुसार अलग-अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्राथमिकता श्रेणियों के क्रम के आधार पर योग्यताक्रम के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।

- प्रवेश-परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषयों में आयोजित की जाएगी।
- (ii) प्रवेश के योग्य होने के लिए अभ्यार्थी को सभी विषयों में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। भाषा अर्थात् (हिंदी और अंग्रेजी) में कम अंक होने पर 5 अंकों तक छूट दी जा सकती है।
- (iii) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी कुल योग के 25% अंक प्राप्त करने पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

9. कक्षा XI में प्रवेश की विधि

- i) के.वि. छात्रों के लिएः केंद्रीय विद्यालय से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 11 में विभिन्न संकायों अर्थात विज्ञान, कॉमर्स और मानविकी में प्रेवेशों को निम्नलिखित तरीकों से नियमित किया जाएगाः
 - क) प्रत्येक विद्यालय में सभी आवेदकों द्वारा सीबीएसई में प्राप्त सीजीपीए के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी।
 - ख) संबंधित संकाय में विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या और छात्र द्वारा वांछित संकाय के अनुरूप ऊपर 'क' के अनुसार तैयार योग्यता सूची के रैंक के अनुरूप सीटें आबंटित की जाएगी। तथापि कक्षा क्षमता का निर्धारण संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नीचे दिए तरीके से किया जाएगाः

उसी केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों से प्राप्त आवेदन+निकटवर्ती वह केंद्रीय विद्यालय जो कक्षा 10 तक है या जिसमें अपेक्षित संकाय नहीं है, के विद्यार्थियों में से प्राप्त आवेदकों की संख्या+कक्षा 11वीं में अनुतीर्ण व असफल रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या अर्थात उपर्युक्त सभी की कुल संख्या को उस केन्द्रीय विद्यालय में उपलब्ध सभी संकाय (विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी) हेतु 11वीं कक्षा के सेक्शनों की कुल संख्या के अनुसार बराबर बांट लिया जाएगा और वह सीमा ही उस केंद्रीय विद्यालय की प्रत्येक संकाय की कक्षा 11वीं के प्रत्येक सेक्शन की अधिकतम संख्या होगी।

19

उदाहरण के तौर पर, यदि एक विद्यालय के और निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों से 200 आवेदन प्राप्त हों और उस विद्यालय की सभी संकाय की कक्षा 11 के अनुतीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 12 हो तथा वहां पर कक्षा 11वीं में कुल 04 सेक्शन अर्थात दो सेक्शन विज्ञान के, एक सेक्शन वाणिज्य का और एक मानविकी का हो तो प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या = 200 + 12 = 212 ÷ 4 = 53 होगी |

इस प्रकार कक्षा 11 के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 53 निर्धारित होगी | तथापि निर्धारित की जाने वाली संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए |

इस प्रकार से एक संयुक्त मेरिट सूची निकटवर्ती विद्यालय जो X तक है या जिसमें अपेक्षित संकाय उपलब्ध नहीं है उसके विद्यार्थियों सहित तैयार की जाएगी। विद्यार्थी द्वारा दिए गए विकल्प और उपर्युक्तानुसार प्रत्येक सेक्शन के लिए निर्धारित अधिकतम संख्या तक प्रत्येक सेक्शन में प्रवेश दिए जाएगे। (अनुतीर्ण / असफल विद्यार्थियों को जोड़कर) जैसे यदि किसी एक संकाय में अधिकतम संख्या 53 निर्धारित की गई है और 03 विद्यार्थी उस संकाय में अनुतीर्ण अथवा असफल रहे हैं तब उस स्ट्रीम में 53-3=50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। (निकटवर्ती केंद्रीय विद्यालय जो कक्षा X तक है, के विद्यार्थियों को भी मिलाने के पश्चात ही उपर्युक्त गणना की जाए)।

- ग) मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों उनको शामिल किया जाएगा।
- घ) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों ने एक ही समान सीजीपीए प्राप्त किया है तो ऐसे उम्मीदवारों की आपस में योग्यता को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः
 - i) जिस उम्मीदवार ने गणित में ज्यादा ग्रेड पॉईंट प्राप्त किए है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
 - ii) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित में समान ग्रेड पॉईंट हैं तब गणित और विज्ञान दोनों को मिलाकर उच्च ग्रेड वाले को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
 - iii) अगर दो या दो से ज्यादा उम्मीदवारों को गणित और विज्ञान दोनों के ग्रेड पॉईट में टाई होता है तब जो उम्मीदवार जन्मतिथि के अनुसार उम्र में बड़ा है उसे प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी।
- च) प्राचार्य कक्षा 11 में कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या तक ही प्रवेश दे सकते हैं।
- छ) विद्यार्थी, जो किसी विशेष संकाय में प्रवेश के लिए पहले पात्र नहीं पाया गया है उसे अगले शिक्षा—सत्र में उस विशेष संकाय में प्रवेश के लिए कक्षा 11वीं में नए प्रवेश के रूप में लिया जा सकता है बशर्त कि उसने उसी बोर्ड से एक वर्ष के दौरान अपना निष्पादन सुधार लिया हो।

टिप्पणी : इफोर्मेटिक प्रेक्टिसेस को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सभी संकाय में दिया जाता है। इसमें प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

कम्प्यूटर साइंस और बॉयो टेक्नोलॉजी जहां भी ऐच्छिक विषय के रूप में उपलब्ध है, विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों में विद्यालयों को दी जाए और प्रवेश संयुक्त मेरिट सूची के अनुसार दिए जाएंगे। मल्टीमिडिया और वेब–डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी (जहां उपलब्ध हैं) को संयुक्त योग्यता सूची के अनुसार सभी संकायों (वाणिज्य, मानविकी व विज्ञान) के विद्यार्थियों को दिए जा सकते हैं।

ii) गैर केन्द्रीय विद्यालय छात्रों को नए प्रवेश

- क) अपने केंद्रीय विद्यालय और निकटवर्ती केंद्रीय विद्यालयों के सभी पात्र छात्रों को उनके संकाय में समायोजित करने के उपरांत अगर रिक्तियां शेष रहती हैं तो गैर केन्द्रीय विद्यालय छात्रों को नए प्रवेश दिए जा सकते हैं। शेष रिक्तियों के लिए नए प्रवेश प्राथमिकता श्रेणियों के अनुक्रम में निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर किए जाएगें :--
- i) विज्ञान और कॉमर्स संकाय -- न्यूनतम 8.0 सीजीपीए
- ii) मानविकी संकाय न्यूनतम 6.4 सीजीपीए
- ख) यदि उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा केवि और गैर केवि विद्यार्थियों को प्रवेश देने के पश्चात भी रिक्तियाँ रह जाती हैं तो विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु 6.0 एवं मानिविकी संकाय के लिए 5.4 के कम सीजीपीए पर अनुमति दी जाए।
- ग) मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जो भी रियायतें लागू हों, उनको शामिल किया जाएगा।

iii) कक्षा-11 में प्रवेश के लिए निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाएगीं:

क) विभिन्न स्तरों पर खेलकूद / स्काउटिंग और गाइडिंग / एनसीसी / साहसिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी निम्नलिखित रियायतें उपलब्ध होंगी। इसके लिए प्रमाण--पत्र पूर्व के किसी भी वर्ष का हो सकता है।

क्रमांक	खेलकूद	एनसीसी	स्काउटिंग/ गाइडिंग	विज्ञान/वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु साहसिक क्रियाकलाप	प्वाइटों में छूट
क	एसजीएफआई अथवा समकक्षीय स्तर पर सहभागिता	'ए'प्रमाण-पत्र और गणतंत्र दिवस/ प्रधानमंत्री रैली में प्रतिभागिता	राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण—पत्र	शून्य	सीजीपीए में 0.8 अंक
ख	केविसं राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्रतिमागिता			श्रून्य	सीजीपीए में 0.6 अंक
ग	केविसं क्षेत्रीय/जिला स्तर पर प्रतिभागिता	'ए' प्रमाण–पत्र	5 दक्षता बैजों के साथ तृतीय सोपान प्रमाण–पत्र	कम से कम किसी 10 दिवसीय साहसिक क्रियाकलाप में प्रतिभागिता	सीजीपीए 0.2 अंक

खेलकूद / स्काउट / गाइड / एनसीसी / साहसिक कार्यक्रमों के अर्तगत अधिकतम छूट 0.8 सीजीपीए से अधिक नहीं होगी। उप र्रुक्त (क) और (ख) के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में एक से अधिक छूट की योग्यता की स्थिति में उम्मीदवार को अधिकतम लाभ की एक छूट दी जाएगी (यह लाभ गैर के.वि. विद्यार्थियों को भी नए प्रवेश के समय प्रदान किया जाए)

ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को 11वीं में विज्ञान/वाणिज्य/ मानविकी संकाय में प्रवेश के लिए 0.4 तक सीजीपीए में ग्रेड/अपग्रेड किया जाएगा।



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

GUIDELINES FOR ADMISSIONS

IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

NEW DELHI

CONTENTS

PART-A GENERAL GUIDELINES

PART-B SPECIAL PROVISIONS

PART-C ADMISSION PROCEDURE

PART-D FORMS & FORMATS

GUIDELINES FOR ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS PART- A GENERAL GUIDELINES

1. In supersession of all the guidelines governing admissions in Kendriya Vidyalayas that have been issued in the past, the following guidelines are issued to regulate admissions in the Kendriya Vidyalayas with effect from the academic session 2014-15. These guidelines are not applicable to Kendriya Vidyalayas located abroad.

2. **DEFINITIONS**

Unless the context suggests otherwise, the definition of the following terms used in these guidelines would be as below:-

- (i) <u>CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES</u>: An employee who draws his emoluments from the consolidated fund of India.
- (ii) <u>TRANSFERABLE</u>: An employee who has been transferred at least once in the preceding 7 years shall be deemed to be transferable.
- (iii) <u>TRANSFER</u>: An employee would be treated as transferred only if he/she has been transferred by the competent authority from one place/urban agglomeration to another place/urban agglomeration which is at a distance of at least 20 kms. and minimum period of stay at a place should be six months.
- (iv) <u>AUTONOMOUS BODIES / PUBLIC SECTOR</u> <u>UNDERTAKINGS</u>: Organizations which are fully financed by the government or where the government share is more than 51 per cent would be deemed to be autonomous bodies/ public sector undertakings.

3. PRIORITIES IN ADMISSION

The following priorities shall be followed in granting admissions:-

(A) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER CIVIL/DEFENCE SECTOR:

- 1. Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.
- 2. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
- 3. Children of transferable and non-transferable State Government employees.

- 4. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
- 5. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no Children of Indian Nationals waitlisted for admission.
- **Note:** Preference in Admission to wards will be based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.

(B) KENDRIYA VIDYALAYAS UNDER PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS/ INSTITUTES OF HIGHER LEARNING:

- Children and grandchildren of employees of the Project Sector/Institutes of Higher Learning which are the sponsors of the Vidyalaya, Children of Project employees & Post Graduate students who are working on long term research projects, Children of regular Council of Wardens (COW) employees and children and grand children of retired employees.
 - Note: Preference in Admission will be given to children of serving employees, grand children of serving employees and children and grand children of retired employees in that order.
- 2. Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.
- 3. Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.
- 4. Children of transferable and non-transferable State Government employees.
- Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.
- 6. Children from any other category including the children of Foreign Nationals who are located in India due to their work or for any personal reasons. The Children of Foreign Nationals would be considered only in case there are no children of Indian Nationals waitlisted for admission.
 - **Note:** Preference in Admission to wards will be granted based on the number of transfers of the parents in the last 7 years.

4. ELIGIBLE AGE FOR ADMISSION

A Child must be 5 years old as on 31st March in the academic year in which admission is sought for Class I.(Child born on 1st April should also be considered.)

A. The minimum and maximum age limit for admission in Kendriya Vidyalayas in various classes is given below:

CLASS	MINIMUM AGE ON 31 ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT	MAXIMUM AGE ON 31 ST MARCH OF THE YEAR IN WHICH ADMISSION IS SOUGHT	
Ι	5 years	7 years	
П	6 years	8 years	
III	7 years	9 years	
IV	8 years	10 years	
V	9 years	11 years	
VI	10 years	12 years	
VII	11 years	13 years	
VIII	12 years	14 years	
IX	13 years	15 years	
Х	14 years	16 years	

Note: The maximum age limit can be relaxed by two years in case of Physically Challenged children by the Principal.

B. There is no age restriction for admission to Class XI provided the student is seeking admission in the year of passing Class X examination. Similarly, there will be no upper & lower age limit for admission to class XII provided there has been no break in the continuous study of the student after passing class XI.

Class Strength	Authority	Date (s)	Remarks
Up to 40	Principal	Up to 31 st July	Registered and eligible candidates Subject to availability of vacancies
Up to 45	Chairman, VMC	1 st August to 30 th September	Provided such candidates are the wards of Central Govt. employees belonging to category- I, joining on transfer after the registration process is over, on first-cum-first serve basis. The children of parents belonging to Cat. I transferred during previous years will also be considered eligible for admission, if seats are available after accommodating the children of category – I parents transferred during the current academic session. The KVs established in project / institutes of higher Learning would also be covered under this provision.
Up to 45	Commissione r, KVS	Up to 30 th November	Wards of Category I employees joining on transfer after 30 th September subject to availability of vacancies.

5. CLASS STRENGTH AND COMPETENT AUTHORITIES

6. RESERVATIONS IN ADMISSION

A. SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBE CATEGORY

15% seats for Scheduled Caste and 7.5% seats for Scheduled Tribes shall be reserved in all fresh admissions in all Kendriya Vidyalayas.

B. PHYSICALLY CHALLENGED CATEGORY

3% seats of total available seats for fresh admission will be horizontally reserved for Differently Abled-children as per the provisions of RTE Act, 2009 read in conjunction with Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

7. ADMISSION WITH KV TRANSFER CERTIFICATE INCLUDING LOCAL TRANSFER (TC).

- (i) Admission of children with KV TC will be automatic (over and above Class strength) if the parent has been transferred from one station to another. When the class strength reaches 55, the efforts should be initiated to open additional sections.
- (ii) Defence personnel and Para-military Forces who shift their families to a station of their choice whenever they are transferred to some non-family areas or posted in Naxal affected areas, can admit their children on KV TC in a KV located at the station where they will keep their family.
- (iii) In all other cases where transfer of the parent is not involved, the admission with KV TC would be done only with the prior approval of the Deputy Commissioner of the region concerned.
- (iv) All cases of local transfer on KV TC will be done with the approval of DC concerned on merit.

(v) A student with KV TC may also be permitted in project KVs only up to class strength of 45 with the prior concurrence of Chairman, VMC. Beyond this no admission on KV TC would be done in project schools. However, Deputy Commissioner of the region is empowered to allow admission in the project/nearest KV in extremely deserving cases.

8. EQUIVALENCE OF N.I.O.S / STATE BOARDS / ICSE FOR ADMISSION IN CLASS XI IN KENDRIYA VIDYALAYAS

The students of State Boards/ICSE/NIOS where marks are awarded be considered for admission in class XI if vacancies exist. The marks awarded in various subjects are considered against the corresponding Grade awarded by CBSE.

* Marks of different subjects are to be converted into grades as per CBSE norms as given below:

Marks range	Grade	Marks range	Grade
91-100	A ₁	51-60	C ₁
81-90	A ₂	41-50	C ₂
71-80	B ₁	33-40	D
61-70	B ₂	21-32	E ₁
		0-20	E ₂

Conversion of marks into Grades:

9. ADMISSION FOR CLASS X AND XII

Admissions to class X & XII, other than KV students, will be entertained subject to availability of vacancies. Such admissions to class X and XII will be considered by the Deputy Commissioner of the Region concerned, only if, the average strength in class X/XII is below 40. This will further be subject to the following conditions:

- i) The child has been in the same course of studies i.e. in a CBSE-affiliated school.
- ii) For Class X, the child must have obtained not less than 6.5 CGPA in class IX (CGPA be calculated as per formula applied by CBSE in class X). For admission to class XII, 55% marks in class XI examination is mandatory.
- iii) The child should OTHERWISE be eligible as per KVS admission guidelines.
- iv) The combinations of subjects opted by the student are available in Kendriya Vidyalayas.

10. ADMISSION OF CHILDREN STUDYING ABROAD

A KV Student, who went abroad with his parents on their deputation to a foreign country, will be admitted to corresponding class on their return to India by the Principal of Kendriya Vidyalaya concerned.

Note: In case of any issue related to the interpretation of admission Guidelines, the decision of Commissioner KVS, will be final.

GUIDELINES FOR ADMISSION IN KENDRIYA VIDYALAYAS

<u>PART- B</u>

SPECIAL PROVISIONS

1. Following categories of children would be admitted over and above the class strength except where stated otherwise in the provision itself (e.g. Item No. XVI).

- i. The children and dependent grand children of Hon'ble Members of Parliament.
- Children and grand children (children of son or / and daughter) of serving and retired KVS employees.
 The Children and grand children of the serving and retired employees of KVS (Kendriya Vidyalayas, Regional Offices, ZIETs and KVS (Hqrs.) will be considered for admission at any time of the year irrespective of the class strength/year of transfer/recruitment. However, for class IX, the child has to clear the admission test (The Officials/Officers who come on deputation to KVS their wards should also be treated at par with regular KVS employees).
- iii. Children of Central Government employees who die in harness.
- iv. Children of recipients of Paramveer Chakra, Mahavir Chakra, Veer Chakra, Ashok Chakra, Kirti Chakra & Shourya Chakra, Sena Medal(Army), Nav Sena Medal (Navy), Vayu Sena Medal (Air Force).
- v. Children of recipients of President's Police medal for gallantry & Police medal for gallantry.
- vi. Meritorious sports children who have secured I, II & III position in SGFI/CBSE/National/State level games organized by the Government.
- vii. Recipients of Rashtrapati Puraskar in Scouts & Guides.
- viii. Single girl children in class I and from class VI onwards subject to a maximum of two per section in class I and two per class in class VI and onwards. It includes twin girl children also.
- ix. Children who are recipients of National Bravery Award, or of Balshree Award instituted by National Bal Bhawan.
- x. Children whose parent is a teacher, and is a recipient of National Award for teachers.
- xi. Children who have shown special talent in Fine Arts and have been recognized at the National or State level.
- xii. 100 children of employees of the Ministry of HRD would be admitted every year on orders issued by the KVS (HQ)(up to 31st July).
- xiii. 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India and 15 admissions in hostels of Kendriya Vidyalayas, would be granted to employees of Ministry of External Affairs each year, by orders of KVS (HQ). These would be regulated as follows:-

- a) 60 admissions in Kendriya Vidyalayas located anywhere in India be utilized exclusively for children returning from abroad along with their parents after their posting. Seats under this provision remaining unutilized at the time of normal admissions will remain as such and will be utilized for children who return to India after the beginning of the academic session and up to 30th September. Children who return to India after 30th September would be considered for admission up to 30th November. No special consideration will be given to MEA staff under this priority. All these admissions will be subject to the condition that not more than 5 children would be admitted in one school in a year and that the children would be submitting a transfer certificate of a school abroad, in which they had been studying prior to seeking admission in a KV.
- **b)** 15 seats for admission in hostels in Kendriya Vidyalayas would be allotted to the children whose parents are going abroad on a posting to station, which does not have adequate educational facilities. The required information in this respect would need to be given by the Ministry of External Affairs.
- xiv. 15 children of the employees of the Research and Analysis Wing (RAW) would be admitted on orders to be issued by the KVS Hqrs. Of these, a maximum of 5 seats would be given in Delhi and the remaining would be outside Delhi.
- xv. "In case adequate number of applications for admission of eligible children are not available for provisions under (XII), (XIII), and (XIV), Kendriya Vidyalaya Sangathan may nominate additional names up to the prescribed limit to ensure full utilization of these provisions".
- xvi. 05 seats in each section of class I and 10 seats in all other classes put together will be reserved every year for the children of the sponsoring agency in all schools except those specifically notified otherwise by the Commissioner. The wards of deceased employees of sponsoring agency who have died while in service may also be included under this quota. In Civil Sector schools sponsored by State Govt., the children of State Govt. employees would come under this provision. Similarly in Defence/ Project/ Institution of Higher Learning sector schools only the children belonging to employees working in these sectors would come under this provision. Admission to class I would be within the approved class strength while for other classes it would be over and above class strength.
- xvii. Chairman, Vidyalaya Management Committee can recommend maximum two admissions in the concerned Kendriya Vidyalaya/Shift under his discretionary quota. These two admissions may be recommended in one class or all classes put together except classes X & XII
- xviii. Wherever land has been sponsored by DDA for Kendriya Vidyalayas located in Delhi, admission to children of regular DDA employees would be restricted to 5 seats per section in class I and 5 seats in all other classes put together. Admission in class I would be within the approved strength of the section while for other classes this would be over and above the class strength.

- xix. Each Hon'ble Member of Parliament can refer 06 (six) cases for admission under the scheme in an academic year but such recommendations shall be confined to children whose parents belong to his constituency either by domicile or on account of having been soon-before posted there or else on account of exigencies of service, migrate to his constituency. Such recommendations would be for admissions in Kendriya Vidyalaya(s) located in his constituency only. In case there is no Kendriya Vidyalaya in the constituency of the Hon'ble M.P.(Lok Sabha), he/she may recommend these admissions in the Kendriya Vidyalaya(s) located in any neighbouring contiguous constituency. For Member of the Rajya Sabha, the State from which the member has been elected would be deemed to be his constituency for this purpose. Nominated members of the Rajya Sabha and Lok Sabha can recommend 06 cases for admission in any one or more Kendriya Vidyalayas of the Country.
 - a. These admissions shall be over and above the class strength.
 - b. These recommendations would be made for all classes except pre-primary, and classes X and XII.
 - c.These admissions would be made at the beginning of the academic year and no admission would be allowed after the prescribed cut off date (i.e 31st JULY) of the year.
 - d. The recommendations to be made shall be valid only if these are made in the prescribed format provided to each Member of Parliament by KVS (HQ). Recommendations sent in any other format / manner shall not be considered.
 - e. The children recommended by Hon'ble Members of Parliament must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.
 - f. Unutilised seats of M.P.quota may be filled up with the approval of Chairman, KVS. Admissions under this provision shall be regulated as follows:
 - i) These admissions shall be over and above class strength;
 - ii) These admissions shall not exceed 10% of the total fresh admissions made in each school during the year;
 - A list of names to be considered will be provided by the office of Hon'ble HRM, Chairman, KVS. In case, the list of candidates exceeds the number of seats available, selection would be done by draw of lot;
 - iv) The last date of admission under the scheme shall be 31st August of the year.
 - v) The children recommended must be otherwise eligible for admission as per the extant KVS Admission Guidelines.

xx. Each Directorate of education of Armed Forces i.e Army, Air Force and Navy can refer 06 cases in admission in an academic year for all classes except pre primary and classes X and XII. The Directorate of education of Armed Forces i.e Army, Air Force and Navy can recommend 06 names for admission of wards of Defence Personnel who are otherwise eligible for admission, in Kendriya Vidyalayas located in Defence Sector. These admissions would be over and above the class strength and would be completed by 31st July. However, under this provision no admission will be made in class X and XII.

2. ADMISSION OF WARDS OF ARMED FORCES

Automatic admission of children in the Kendriya Vidyalayas on the basis of transfer certificate issued by the CBSE affiliated schools run by Armed Forces (e.g. Army, Air Force, Navy and CRPF) will be entertained only if the parent has been transferred to that place or has desired to settle at the place after his retirement., provided no Armed forces run School exists in the vicinity of 10 km. from the place of posting.

This provision shall be applicable to schools run by Indian Coast Guard also. This provision may also be extended to the children of government employees studying in schools run by ISRO/AEES.

It is clarified that above provisions are only for the wards of Defence personnel *I* CRPF viz. sons & daughters only. This will not include the grand children of Defence personnel. Provisions of KVS admission guidelines including the eligibility criteria for age and marks/Grades will be followed in letter and spirit. Also the fee including VVN is to be paid from the month of admission of the child in the Kendriya Vidyalaya regardless of the fact that the fee for succeeding months have already been paid in the school from which TC has been issued for admission to KV. TCs issued by the CBSE schools of Defence Ministry/Deptts/Authority will be endorsed by the concerned Deputy Commissioner of the region where admission is sought.

3. ADMISSION OF PRE PRIMARY STUDENTS IN CLASSE-I.

The policy of automatic admission of pre-primary students in class-I has been withdrawn w.e.f. session 2008-09. Now all admissions in class-I shall be treated as fresh admissions and shall be dealt with as per rules in vogue.

4. Children who were earlier studying in Kendriya Vidyalaya but due to (a) transfer of parent or (b) relocation due to exigency caused by posting of parent to field area was compelled to study in a school other than Kendriya Vidyalaya because no KV was available at that station, if the said parent subsequently gets transferred to a place where a Kendriya Vidyalaya exists, his/her child be considered for admission, consequent upon the transfer/movement of the parent subsequently to a place where a Kendriya Vidyalaya exists, over and above the class strength. A proof to this effect has to be provided by the parent.

GUIDELINES FOR ADMISSION IN

KENDRIYA VIDYALAYAS

PART- C PROCEDURE FOR ADMISSIONS

1. PUBLICITY

An advertisement shall be issued by the Regional Office in the local newspapers in the 1st week of February giving the admission schedule (Annexure follows) and inviting Parents to register their wards for admission in Kendriya Vidyalayas. This advertisement should specifically indicate that admissions in Kendriya Vidyalayas are not restricted to Central Govt. employees and are open to all, only certain priorities have been laid down for different categories to regulate the admissions. The reservations for SC, ST and Physically Handicapped and under RTE Act 2009 should also be indicated.

2. REGISTRATION

- (i) Registration shall not be done if there is no vacancy or likelihood of any vacancy in a particular class. In case a vacancy arises in future, registration can be made after giving wide publicity at local level and admission can be granted as per KVS Admission Guidelines.
- (ii) In case the number of children seeking registration is less because of which all seats have not been filled up, the Principal shall issue a second/third advertisement in the months of May and June notifying the availability of vacancies.
- (iii) Admissions are required to be made with the approval of the Executive Committee of the Vidyalaya. In case the Executive Committee does not approve the admissions up to the full sanctioned strength of the class, the Principal shall intimate this fact to the Deputy Commissioner who may approve the admissions.
- (iv) Registration for class XI shall be taken up immediately after the declaration of results of class X and admissions up to the full strength of the class should be completed within 30 days after declaration of results by CBSE. In case there is any difficulty in admitting children up to the full strength because of the Executive Committee of the Vidyalaya not approving the same, the procedure as laid down for other classes above shall be followed and admissions up to the sanctioned strength of the class shall be made by 31st of July with the approval of the Deputy Commissioner.
- (v) Registration forms shall be made available by the Principal FREE OF COST.
- (vi) Registration forms complete in all respects and accompanied by all required documents must be submitted to the Vidyalaya office within the prescribed date.
- (vii)Attested copies of the prescribed documents would be required to be submitted along with the application form for registration.

3. DOCUMENTS

- For Class I, certificate of proof of age in the form of a birth certificate issued by the authority competent to register births. This will include certificates from Notified Area Council / Municipality / Municipal Corporation extract about the date of birth from records of Village Panchayat, Military Hospital and service records of Defence personnel or Affidavit. For other classes, the date of birth recorded in the transfer certificate issued by a school recognized by the State Education Department would be accepted. The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification. Admissions up to class-VIII may be granted without any school transfer certificate provided the child is otherwise eligible and his birth certificate has been issued by a Govt. body or affidavit.
- For grandchildren of Hon'ble Member of Parliament and PSU employees a proof of relationship of either of the child's parents with the Hon'ble Member of Parliament or PSU employees would be needed.
- For grandchildren of KVS employee a proof of relationship would be required.
- A certificate that the child belongs to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/EWS/OBC (Non-Creamy Layer)/BPL/Differently abled, wherever applicable, issued by the competent authority in concerned State Government/Union Government. The certificate in respect of either of the parents may be accepted initially, for the purpose of admission, if this certificate is not available for the child. However, the certificate in respect of the child has to be submitted within a period of 03 months from the date of admission.
- A certificate from the civil surgeon/rehabilitation centre or any other competent authority defined by the Government of India O.M. No. 36035/5/88/Estt.(sct) dated 4.5.1999 certifying the child to be handicapped, wherever applicable. In case, where the handicap of the child can be visually seen by the Principal, the child may be accepted as handicapped even without a certificate. However, the parent may be advised to obtain the relevant certificate from the competent authority and submit the same to the school.
- A service certificate showing the number of transfers during the preceding 7 years duly signed and stamped by the head of office bearing the name, designation and other relevant particulars in block letters.
- A certificate of retirement for uniformed Defence employees.
- Proof of Residence.

Note:

- (i) Mere registration will not confer a right to admission.
- (ii) Incomplete application forms shall normally be rejected. In case vacancies remain, Principal may allow completion of the form later at his discretion.
- (iii) Admission secured on the basis of any wrong certificate shall be cancelled by the Principal forthwith and no appeal against such action of the Principal shall be entertained.
- (iv) When a child is registered for admission in class I in a Kendriya Vidyalaya but, before declaration of the selection list, his parent is transferred to another station, the child should be deemed to have been registered for admission in the Kendriya Vidyalaya at the station of posting even if the last date of registration at that place has expired. The registration form in original is transferred to the Kendriya Vidyalaya of new place of posting and a photo copy of the same be retained in the school where the child was initially registered.
- (v) In respect of Category I, II, III and IV admissions, the veracity of the Certificates submitted by the parents in proof of their service must be invariably verified by the Principal.
 - 4. METHOD OF ADMISSION IN CLASS I

Out of the available seats of fresh admission 15% will be reserved for SC and 7.5% will be reserved for ST. The short fall in the number of seats reserved for SC and ST, will be worked out after considering number of SC/ST children admitted under RTE quota.

- (1) In first phase, 10 seats (out of 40 seats) in Class I per section are to be filled as per RTE Provisions (25% of seats) and these 10 seats will be filled by draw of lots from all applications of SC/ST/EWS/BPL/OBC (Non Creamy Layer)/Differently abled taken together.
- (2) In second phase, remaining seats are to be filled as per existing Priority category system. The short fall in the seats reserved for SC/ST, if any shall be made good by admitting SC/ST applicants. For example: In a single Section School 6 seats are reserved for SC and 3 Seats for ST (15% for SC and 7.5% for ST). Assuming that, 2 SC candidates, 1 ST candidate and 1 Differently Abled candidate are admitted under RTE in the lottery system In first phase, then available SC seats will be considered as 6-2 = 4 and ST seats will be 3-1 = 2. The left out registered candidates from SC and ST category will be considered as per order of Priority categories for admission. In this case the remaining 24 seats will be available for admission under order of Priority of Category. Note-1:
 - a) In no case the seats reserved as per RTE will be de-reserved.
 - b) The seats reserved for SC/ST may be interchanged, by interchanging SC seats to ST and vice- versa after 20th July.
 - c) If required numbers of candidates covered under RTE do not register in 1st spell of registration then a second notification may be given in the month of April.
 - d) The definition/eligibility criteria of Disadvantaged Group/Weaker Section/BPL/OBC (Non creamy layer) will be as per the notification of the concerned State Governments.
 - e) Admission test will not be conducted for Class I.

Note-2:

A DEFINITION OF DISADVANTAGED GROUP

- 1. Child belonging to disadvantaged group means a child belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economic, geographical, linguistic, gender or such other factor as may be specified by the appropriate government, by notification (Section 2(d) of RTE Act).
- 2. Child with special needs and suffering from disability will be determined as per the provision mentioned in RTE Act 2009 or as defined by the concerned State Govt.

B DEFINITION OF WEAKER SECTION

- Child belonging to weaker section means a child belonging to such a parent or guardian (declared by a Court or a Statute) whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate government, by notification (Section 2(e)).
- The income limit regarding economically weaker sections will be applicable as notified by the State Govt. concerned.
- C. DEFINITION OF NEIGHBOURHOOD & PROOF OF RESIDENCE

Since Kendriya Vidyalayas are located at places with varied density of population, they have been categorised as follows for determining the limits of neighbourhood:-

1	Major cities and Urban area	5 kms. Radius
	(All District Hqrs. & Metros)	
2	Places and areas other than	8 kms radius
	included in 1 above.	

Note:

- 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants. However admission cannot be denied due to non-submission of Proof of residence.
- 2. A self-declaration in writing from the parent about distance may also be accepted to this effect.

5. COMPOSITION OF COMMITTEE FOR DRAW OF LOTS

Every Kendriya Vidyalaya will constitute a committee for the purpose of monitoring a system of Draw of Lots to be held in Class I or in any other class wherever such stage is reached when all candidates of a particular category or having same number of transfers cannot be accommodated against available number of seats.

		3 ()
1.	Principal	Convenor
2.	Teacher	Member (To be nominated by Principal)
(3 & 4)	Two parents (One	Members (One parent has to be from
	lady)	the candidates to be considered under
		section 12(1)(c) of RTE Act 2009)
5.	VMC member	Member (To be nominated by
		Chairman, VMC)

The committee will comprise the following five (05) members:-

- An additional 6th member can be nominated by the Principal from the students of class IX to XII wherever these classes exist.
- This committee may be notified with the concurrence of Chairman, VMC, at least 5 days in advance of draw of lots and be displayed on School Notice Board.

6. FEE AND OTHER CONCESSIONS :

- No fee to be charged from the children admitted under the 25% quota prescribed under RTE Act 2009
- One set of NCERT text books for his/her class to each child will be provided by the school and other expenses on account of note books, stationary, uniform and transport will be reimbursed on production of proper bills in respect of 25% of the children admitted under the Act subject to the ceiling prescribed.
- Once the children are admitted in Class I under RTE Act, they will continue to enjoy exemptions and concessions till class VIII either in the same KV or any other K.V. moving on transfer as per RTE Act.
- Address proof of the parent should be furnished at the time of the registration.
- The employees who have the facility of fee reimbursement in their departments cannot claim RTE concessions.
- 7. METHOD OF ADMISSION IN CLASS II TO VIII

Admission test shall not be conducted for admission to Class II to VIII and the admission may be granted based on Priority category system (1 to 5 or 6 as the case may be). If applications are more than the number of seats, lottery system will be followed in each category including single girl child quota.(Class VI Onwards)

8. METHOD OF ADMISSION IN CLASS IX

CLASS IX - For admission to Class IX, an admission test shall be conducted and a merit list prepared for each category of priority separately. Admission shall be granted in the sequence of priority categories, in the order of merit.

- (i) Admission test shall be conducted in the subjects: Hindi, English, Math, Social Science and Science.
- (ii) Candidates must secure at least 33% marks in all subjects to qualify. Merit List will be prepared as per the Priority Category.
 Concession up to 5 marks can be given for deficiency in language (Hindi & English).
- Students belonging to SC/ST will be eligible for admission on securing 25% in aggregate.

9. METHOD OF ADMISSIONS IN CLASS XI

- I. KV STUDENTS : Admissions in different Streams viz. Science, Commerce, Humanities of Class XI in KVs for KV students who have passed Class X will be regulated as follows:
- a. The merit list will be drawn / prepared as per CGPA obtained by applicant in CBSE/Class X results in every School.
- b. The Seats will be allotted as per the rank in the merit list prepared as at (a) above vis-à-vis number of vacancies available in a particular stream in the Vidyalaya and as per the option of stream exercised by the student. However, the Class Strength will be fixed by the Principal of the Kendriya Vidyalaya concerned in following manner:

The total No. of applications received from students of the same KV, from neighbouring KVs which are upto Class X or not having the desired stream, if any, plus no. of students failed and detained, etc. in class XI (including all streams) would be divided by the number of sections of class XI available in the KV (including Science, Commerce and Humanities streams) and the quotient arrived at, will be the maximum strength of each section of class XI of that KV of each stream.

For example, if 200 applications are received from same KV and neighbouring KV which is upto Class X and 12 students failed in class XI (including all streams in the school) and 4 sections of class XI (2 Science, 1 Commerce and 1 Humanities) are available, then 200+12 = 212 = 53

Δ

53 would be fixed as maximum strength of each section of Class XI. However, the maximum strength to be fixed should not be less than 40.

Thus a combined merit list (including students from neighbouring school which are up to class X or not having desired streams) would be prepared. As per the option given by the students and maximum number per section as fixed (above), admission would be granted in each section (including detained students) e.g.: if 53 is the class strength fixed in a particular stream, 3 students are detained in that stream 53-3=50 students would be admitted (including students from neighbouring schools which are upto class X, if any)

- c. Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List.
- d. In case of two or more candidates obtaining equal CGPA, the inter-se merit of such candidates may be determined as follows:
 - (i) Candidates obtaining higher grade points in Maths will get precedence in admission.
 - (ii) If two or more candidates have got the same grade points in Maths, then the candidates securing higher grades in Maths and Science taken together will get precedence over the others.
 - (iii) In case of a tie between two or more candidates obtaining same grade points in maths and science taken together, the student older in age as per the D.O.B will be given precedence over the other.
- e. Principal may admit children to class XI only up to the permitted class strength.
- f. A student who was earlier not found eligible for admission to a particular stream may be allowed fresh admission to a particular stream in class XI in the next academic session, if he/she improves his/her performance within one year from the same Board.
 - **Note:** Informatics Practices as an elective subject is offered to all streams. Admission to this would be granted as per the combined merit list.

Computer Science / Bio-Technology, wherever available as an elective subject, is to be offered to students of Science Stream and admission would be granted as per combined merit list. Multi-media & Web-Designing Technology (wherever available) as elective subject may be offered to students of all the streams (Commerce, Humanities & Science) as per combined merit list.

II. FRESH ADMISSIONS TO NON-KV STUDENTS

- (a) After accommodating all the eligible students of the KV concerned and other KVs in the entitled stream, fresh admissions to non-KV students would be allowed, if vacancy exists. Fresh admission for remaining vacancies would be made in the sequence of categories of priority on the basis of following Criteria :
 - i) Science Stream and Commerce Stream
 - A minimum of 8.0 CGPA.
 - ii) Humanities Stream A minimum of 6.4 CGPA.
- (b) In case vacancies remain, after admitting KV as well as non KV students by the above procedure, a lower CGPA of 6.0 for Science and Commerce streams and a CGPA of 5.4 for Humanities stream may be allowed.
- (c) Concessions wherever applicable shall be incorporated while preparing the Merit List

III. THE FOLLOWING CONCESSIONS WILL BE ALLOWED FOR ADMISSION FOR CLASS XI.

(a) The following concession will be granted to students for admission who participated in Games & Sports meet/Scouting & Guiding/NCC/Adventure activities at various levels. The certificate needed for this purpose can be of any of the preceding years.

S. No.	Sports & Games	NCC	Scouting/ Guiding	Adventure Activities for admission to Science/ Commerce stream	Concessi on of marks /Grade Points
a.	Participation at SGFI or equivalent level.	'A' certificate and participation in Republic/PM Rally	Rashtrapati Puraskar award certificate	NIL	0.8 points in CGPA
b.	Participation at KVS National/ State level	'A' certificate and best Cadet in Distt/State level	Rajya Puruskar award certificate with 07 proficiency badges.	NIL	0.6 points in CGPA
C.	Participation at KVS Regional/ District Level	'A' certificate	Tritiya Sopan certificate with 05 proficiency badges	Participation in at least one 10- days adventure activity	0.2 points in CGPA

Maximum concession under Sports/Games/NCC / Scout / Guide/Adventure will not exceed 0.8 points in CGPA .In case of eligibility for more than one concession under different categories as mentioned at (a) and (b) above, only one concession having maximum advantage to the candidate will be allowed (The same benefit may be extended to non-KV Students for fresh admission in KVs.

(b) Students belonging to SC/ST would be given up-gradation in CGPA by 0.4 for the purpose of admission to class XI Science/Commerce Stream/Humanities.